राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 756/2023

प्रकाश चन्द मीणा (कर्मचारी आई.डी.– आरजेटीओ201336020708)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.01.2023
आदेश की दिनांक : 03.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.डी. मीणा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी सहायक प्रोग्रामर के पद पर कार्यरत है। आदेश दिनांक 16.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण राजस्व तहसील, दूनी, टोंक से जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, बूंदी किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। अपीलार्थी को सहायक प्रोग्रामर, राजस्व तहसीन दूनी में आदेश दिनांक 08.08.2022 के जरिये पदस्थापित किया गया था। इसके पश्चात् अल्प समय में ही अपीलार्थी का स्थानांतरण कर दिया गया है, जो उचित नहीं है। इस आधार पर भी आलौच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पूर्व में आदेश दिनांक 02.05.2016 (अनुलग्नक–2) के जरिये अपीलार्थी को सूचना सहायक के पद पर राजस्व तहसील, दूनी, टोंक में पदस्थापित किया गया था। इसके पश्चात् सहायक प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नति के उपरांत आदेश दिनांक 03.08.2022 (अनुलग्नक–3) के जरिये अपीलार्थी को राजस्व तहसील, दूनी टोंक में ही पदस्थापित रखा गया था। अतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी वर्ष 2016 से राजस्व तह. दूनी, टोंक में ही कार्यरत है एवं वर्तमान स्थानांतरण आदेश एक स्थान पर 6 वर्ष तक अपीलार्थी को पदस्थापित रखने के पश्चात् पारित

किया गया है। यह नहीं माना जा सकता कि अल्प समय में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया हो।

4. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

5. अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर 2016 से कार्यरत है एवं वर्तमान स्थान पर समुचित समय तक अपीलार्थी को पदस्थापित रखे जाने के पश्चात् उसका स्थानांतरण किया गया है। वर्तमान स्थानांतरण में कोई दुर्भावना प्रकट नहीं होती है।

6. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर व उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)